



कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

रोता में,

पत्रांक— १५५५ / १२-१ : दिनांक: २५ जनवरी, 2024

एप वन गठानिकेशक (केंद्र),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
२५ रुग्मास रोड, देहरादून।

**विषयः—** जानपद अल्मोड़ा में विधानसभा बोर्ड जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक के ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ३.४४२ हेक्टर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/37890/2018).

**संदर्भ :-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय, कार्यालय देहरादून में आयोजित वाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय (FRCM) की वैठक दिनांक 31.07.2023।

गहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार में आयोजित वाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय (FRCM) की वैठक दिनांक 31.07.2023 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्नानुसार है :—

भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग से जिन ग्रामों को लाभान्वित किया जाना है, उन ग्रामों के पास दिखने वाला मार्ग पी.एम.जी.एस. याई, लो००५००५०, काठगोदाम, जिला—नैनीताल द्वारा निर्मित मोटर मार्ग (मोरनौला भीड़पानी मोटर मार्ग के किमी० ८ से थली तक मोटर मार्ग) निर्मित है। इस मार्ग से दो घोड़िया ग्राम नहीं जुड़ा हुआ है। यदि उक्त निर्मित मोटर मार्ग से इस ग्राम को जोड़ा जाता है तो उस मार्ग की लम्बाई लगभग 4.0 किमी० आयेगी। यह मार्ग को दो घोड़िया तक ले जाने में लगभग 7 हेयर पिन वैड आयेंगे, जिस कारण अत्यधिक मात्रा में वांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे।

अतः वन संरक्षक के अनुरोध के दृष्टिगत विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नः—यथोपरि।**

भवदीय,

(आर०क० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या— १५५५ / १२-१ दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल को उनके पत्र संख्या—८०३ / १२-१ दिनांक ०३-०१-२०२३ के क्रम में।
- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

(आर०क० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9c

कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।  
(दूरभाष/फैक्स सं०-०५९४२-२३५४५२ e-mail:- cf\_skumaon@rediffmail.com)

पत्रांकः— ८०३ / १२-१ दिनांकः नैनीतालः, ०३ जनवरी, २०२४.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण  
उत्तराखण्ड देहरादून।

## विषय-

जनपद - अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.442 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या 37890 / 2018.

संदर्भ—

प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल का पत्रांक-3407 / 12-1 दिनांक 27.12.2023.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव में दिनांक 31.07.2023 को एफ0आर0सी0एम0 की वैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो कि निम्न प्रकार है—

प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग से जिन ग्रामों को लाभान्वित किया जाना है, उन ग्रामों के पास दिखने वाला मार्ग  $30\text{एम}0\text{जी}0\text{एस}0\text{वाई}0$ ,  $30\text{नि}0\text{वि}0$ , काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा निर्मित मोटर मार्ग (मौर्नौला भीड़ापानी मोटर मार्ग के  $30\text{मी}0$  8 से थली तक मोटर मार्ग) निर्मित है। इस मार्ग से दो घोड़िया ग्राम नहीं जुड़ा हुआ है। यदि उक्त निर्मित मोटर मार्ग से इस ग्राम को जोड़ा जाता है तो उस मार्ग की लम्बाई लगभग  $4.0$  किमी $0$  आयेगी। यह मार्ग को दो घोड़िया तक ले जाने में लगभग  $7$  हेयर पिन बैंड आयेंगे, जिस कारण अत्यधिक मात्रा में वांछनिक चाल सापेक्ष-

अतः उक्त प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

भवदीय

२१०.३० | पुस्तक अलमीड़ |

(टी०आर० बीजू लाल)

३०८० का १० अक्टूबर

Org

ବ୍ୟାକୁ-ପ୍ରଦାନ ମୁଣ୍ଡ | ନାମ

91-24

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं वन सरक्षक,  
यक संस्कृण मूरि सर्वेषण निदेशसंक्षिप्तिराकुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

दरहम्हुः २८९४

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital@gmail.com

Telefax. 05942-236790

पत्रांक:- ८५०४ / १२-१

दिनांक २५/१२/२०२३

सेवा में,

✓ वन संरक्षक,  
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

वनाधिकारी द्वारा दुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड

नोंत्र। उत्तराखण्ड  
प्रावश्य सं. १२-१.....  
प्राप्ति सं. २९५!.....  
दिनांक .. २५: १२: २०२३

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.442 हेतु ग्राम भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या 37890/2018)

संदर्भ :-

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की पत्र संख्या 3071/सी० दिनांक 14.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव में दिनांक 31.07.2023 को एफ०आर०सी०एम० की बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो कि निम्न प्रकार है—

प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि “उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग से जिन ग्रामों को लाभान्वित किया जाना है, उन ग्रामों के पास दिखने वाला मार्ग पी०एम०जी०एस०वाई००, लो०नि०वि०, काठगोदाम जिला नैनीताल द्वारा निर्मित मोटर मार्ग (मौरनौला भीड़पानी मोटर मार्ग के कि०मी० ४ से थली तक मोटर मार्ग) निर्मित है। इस मार्ग से दो घोड़िया ग्राम नहीं जुड़ा हुआ है। यदि उक्त निर्मित मोटर मार्ग से इस ग्राम को जोड़ा जाता है तो उस मार्ग की लम्बाई लगभग 4.0 कि०मी० आयेगी। यह मार्ग को दो घोड़िया तक ले जाने में लगभग 7 हेयर पिन बैण्ड आयेंगे, जिस कारण अत्यधिक मात्रा में बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे।”

अतः उक्त प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक

/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल